

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना कन्धरापुर

अवैध गांजा तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, 1.3 kg गांजा बरामद

आज दिनांक 24.02.2024 को उपनिरीक्षक जाफर खां मय हमराह को मुखबीर से सूचना प्राप्त मिली कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जो थाना स्थानीय से टाप-10 व हिस्ट्रीशीटर भी है इस समय गांजा लिए हुए है तथा मौर्या मार्केट शाहपुर मैलानी कन्धरापुर से सोधनपट्टी जाने वाले मार्ग पर सोधनपट्टी मधुबन तिराहे पर मौजूद है जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है।

➡ □ इस सूचना पर विश्वास करके सोधनपट्टी मधुबन तिराहे जाने वाले मार्ग से कुछ दूर पुलिस टीम पहुंची तो पुलिस को देखकर खडा व्यक्ति भागने के असफल प्रयास में समर करीब 10.30 बजे पकड़ा गया।

➡ □ गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पवन राय पुत्र संकठा राय निवासी आखापुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ के रूप में हुयी। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ

➡ □ अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जनपद मे कुल 12 मुकदमे पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 41/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 4/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

2. 130/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

3. 243/2016 धारा 302/34 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना कन्धरापुर

4. मु0अ0सं0 82/2020 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज

5. मु0अ0सं0 204/2018 धारा 392/411 भादवि थाना महाराजगंज

6. मु0अ0सं0 209/2018 धारा 307 भादवि थाना महाराजगंज

7. मु0अ0सं0 211/2018 धारा 41/411 भादवि थाना महाराजगंज

8. मु0अ0सं0 407/2011 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना अतरौलिया

9. मु0अ0सं0 1/2014 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर

10. मु0अ0सं0 45/2014 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना कन्धरापुर

11. मु0अ)सं0 115/2014 धारा 110 सीआरपीसी थाना कन्धरापुर

12. मु0अ0सं0 41/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कन्धरापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जाफर खां

2. हे0का0 श्री नरायन यादव

3. हे0का0 भानू यादव

थाना बरदह

शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दि0 12.02.23 को वादिनी बरदह जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर अभियुक्त पवन यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम मसूदपट्टी मडैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध 05 वर्षों से शादी का झांसा देकर शादी करने के नाम पर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के संबंध मे तहरीर दिया गया।

जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 62/23 धारा 376 भा0द0वि0 बनाम 1. पवन यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम मसूदपट्टी मडैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी:-

आज दिनांक 24.02.23 को उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभि0 पवन यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम मसूदपट्टी मडैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ भीरा तिराहे से घेराबन्दी करके भागने के असफल प्रयास के दौरान समय करीब 07:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 62/23 धारा 376 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ गिरफ्तार अभियुक्त

1. पवन यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम मसूदपट्टी मडैया थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ पुलिस टीम

गोपाल जी ( उ0नि0 ) थाना बरदह जनपद आजमगढ मय हमराह।

थाना- तरवा

लड़की के साथ छेड़खानी व मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

वादी थाना तरवा जनपद आजमगढ की लड़की के साथ दिनांक 21.02.23 की रात्रि में अभियुक्त संदीप पुत्र रामभवन राम द्वारा छेड़खानी करना व गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 40/23 धारा 354क, 452, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दि0 24.02.23 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह को जरिये मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0 40/23 धारा 354क, 452, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप पुत्र रामभवन राम सा0 कम्हरिया ( कुर्थिया ) थाना तरवा जनपद आजमगढ अपने घर पर मौजूद है।

इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराह के अभियुक्त के घर पहुंचा जहा पर अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला।

पूछताछ करने पर अपना नाम संदीप पुत्र रामभवन राम सा0 कम्हरिया ( कुर्थिया ) थाना तरवा जनपद आजमगढ उम्र 26 वर्ष बताया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए समय करीब 10.30 बजे ग्राम कम्हरिया ( कुर्थिया ) से हिरासत पुलिस मे लिया गया,

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 40/23 धारा 354क, 452, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना तरवा आजमगढ गिरफ्तार अभियुक्त

1. संदीप पुत्र रामभवन राम सा0 कम्हरिया ( कुर्थिया ) थाना तरवा जनपद आजमगढ 9. बरामदगी- निल गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री बसन्त लाल के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह

थाना- रानी की सराय

दहेज के लिए महिला की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेकने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

➡ □ आवेदिका कंचन प्रजापति पत्नी सुखारी प्रजापति नि0 पवनी कला थाना मेहनगर जनपद आजमगढ के पुत्री अनीता प्रजापति की शादी हिन्दु रिति रिवाज के साथ दिनांक 22.04.2016 मे सोनू प्रजापति पुत्र टनकू प्रजापति नि0 महमुदपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के साथ हुई थी।

➡ □ शादी में आवेदिका कंचन प्रजापति अपने समर्थ के अनुसार अपनी लड़की को अनीता को मोटरसाइकिल, दो लाख रुपया , टीवी आदि दिया था। जब आवेदिका की लड़की अपने ससुराल गयी तो उसके ससुराल के लोगो के द्वारा उसको दहेज की माँग को लेकर प्रताडित करते हुए उसको जान से मार दिया तथा शव को रेलवे ट्रैक पर फेक दिया गया था ।

जिसके सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा मा0 न्यायालय से 156(3) सीआरपीसी के तहत थाना स्थानीय पर दिनाँक 20.01.2023 को मु0अ0स0 22/2023 धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 3/4डीपी एक्ट बनाम सोनू प्रजापति आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया ।

जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराहियान फोर्स के साथ कस्बा रानी की सराय मे अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि मुखबीर से सुचना मिली कि मु0अ0स0 22/2023 धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 3/4डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण अपने घर ग्राम मुहमुदपुर पर है अगर जल्दी क्रिया तो पकडे जा सकते है ।

➡ □ इस सुचना पर विश्वास करके त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर अभियुक्त टनकू प्रजापति पुत्र स्व0 जुगनु प्रजापति व अभियुक्ता श्रीमती किशुनी देवी पत्नी टनकू नि0गण महमुदपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.06 बजे गिरफ्तार

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 22/2023 धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 3/4डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. टनकू प्रजापति पुत्र स्व0 जुगनु प्रजापति

2. अभियुक्ता श्रीमती किशुनी देवी पत्नी टनकू नि0गण महमुदपुर थाना रानी की सराय जनपद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1)उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)का0 सोनू प्रताप गौड़ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3)म0आ0 शोभा कुशवाहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़